तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हनुमान प्रसाद गौड़ बनाम लो.सू.अ. (अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर, द्वितीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 70 / 2019	
29.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हनुमान प्रसाद गौड़ पुत्र बाबुलाल गौड़ निवासी तहसील के सामने, जाट होस्टल, दूकान नं. 5, बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.01.2019 में उसके द्वारा (1) एस.बी.सिविल रिट संख्या 432 / 1993 के निर्णय दिनांक 03.05.1993 के विरूद्ध स्पे. अपील की संख्या तथा सन् लिखित में सूचना व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर, द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिलामजिस्ट्रेट शहर, द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((अपर जिलामजिस्ट्रेट द्वितीय जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर, द्वितीय जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	